राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.4(2) आ.प्र एवं स.आ. / पेयजल / 2009–10 / 10045-80 जयपुर, दिनांक 26.4.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय :– अभाव संवत 2066 में अकाल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रो में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :– इस विभाग का आदेश क्रमांक 12930–62 दिनांक 17.9.2009 एवं 5424–51 दिनांक 11.3.10 के क्रम में।

महोदय,

दिनांक 23.4.2010 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर्स द्वारा यह मांग की गई थी कि पूर्व में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था हेतु प्रदान की गई प्रति विकास खण्ड 20 श्रमिकों की सुविधा वर्तमान मे भी लागू रखी जाय। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित आपातकालीन पेयजल व्यवस्था हेतु 20 श्रमिकों की अधिकतम सीमा तक प्रत्येक विकास खण्ड में अकाल राहत के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम नियोजन हेतु आपको अधिकृत किया गया था। यह व्यवस्था राहत कार्य नीति अर्न्तगत नरेगा के तहत 100 दिवस के रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों में से एक सदस्य को रोजगार आपदा राहत कोष के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी।

चूंकि नरेगा योजना का 1.4.2010 से नया वित्तीय वर्ष प्रारम्भ हो गया है इसलिए नरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिक उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। हैण्डपम्प रिपेयर पेयजल आपूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था है। अतः दिनांक 1.4.2010 से प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 20 श्रमिकों को नियोजित करने पर होने वाले व्यय (अधिकतम 60,000/–रूपये प्रतिमाह) की स्वीकृति आपातकालीन पेयजल व्यवस्था के तहत प्रदान की जाती है। नरेगा के तहत 100 दिवस पूर्ण करने वाले श्रमिकों की उपलब्धता होने पर ऐसे श्रमिकों का नियोजन प्राथमिकता पर किया जाएगा।

यह व्यय आपको आपातकालीन पेयजल व्यवस्था मद में आवंटित राशि से कर लिया जावे। अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो अपनी मांग ऑन लाईन (On Line) प्रेषित करें।

भवदीय,

26/4/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक,संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर ।

26/4/10
शासन उप सचिव